बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संकल्प

विषय :— बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना के सदस्यों के आवास भत्ता के दर को संशोधित करने के संबंध में ।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संकल्प सं0— 388 दिनांक 21.01.2014 द्वारा बिहार राज्य खाद्य आयोग, बिहार, पटना का गठन किया गया है । इस क्रम में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्त्तों का निर्धारण संकल्प सं0— 3664 दिनांक 23.06.2014 के द्वारा किया गया है ।

2. उक्त संकल्प के कंडिका—2(8)(iii) के द्वारा बिहार राज्य खाद्य आयोग के अन्य सदस्यों को सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में वेतन का 20 प्रतिशत मकान किराया भत्ता के रूप में निर्धारित किया गया है ।

3. राज्य के विभिन्न आयोगों में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त पदाधिकारियों को सातवें केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना के आलोक में पुनरीक्षित वेतन के निर्धारण के संबंध में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 02.01.2018 को आहूत बैठक की कार्यवाही का ज्ञापांक—379 दिनांक 16.01.2018 के आलोक में वित्त विभाग के परामर्शानुसार अधिसूचना सं0— 4178 दिनांक 27.08.2018 के द्वारा बिहार राज्य खाद्य आयोग के सदस्यों का राज्य सरकार के सचिव को अनुमान्य पुनरीक्षित वेतन स्तर—14 के प्रारंभिक प्रक्रम रू0 144200/—(एक लाख चौवालीस हजार दो सौ) रूपये पुनरीक्षित नियत वेतन निर्धारित किया गया है।

4. महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय पत्रांक 1022 दिनांक 27.09.2018 के द्वारा संशोधित मकान किराया भत्ता की दर से अवगत कराने का अनुरोध किया गया जिसके आलोक में वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। वित्त विभाग द्वारा परामर्श दिया गया कि वित्त विभाग, बिहार के संकल्प सं0—8043 दिनांक 11.10.2017 के आलोक में मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन अपेक्षित है। वित्त विभाग के उक्त संकल्प द्वारा Y वर्ग पटना (यू0ए0) में मकान किराया भत्ता का दर मूल वेतन का 16 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

संकल्प सं0—3664 दिनांक 23.06.2014 के कंडिका— 2(8)(iii) के अनुसार पूर्व में सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में उन्हें मकान किराया भत्ता के रूप में मूल वेतन का 20 प्रतिशत राशि निर्धारित था। सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में उसमें संशोधन की आवश्यकता है ।

5. अतः संकल्प सं0—3664 दिनांक 23.06.2014 के कंडिका 2(8)(iii) के द्वारा पूर्व से निर्धारित आवास किराया भत्ता को संशोधित करते हुए 16 प्रतिशत किया जाता है तथा उक्त संशोधित भत्ता पत्र निर्गत की तिथि से अनुमान्य होगा। शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगे ।

6. मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक दिनांक 11.06.2019 को मद संख्या—05 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। संचिका संख्या— प्र06—विविध—22/2013(खंड)—II/93 टि0।

(भरत कुमार दुबे)
सरकार के अपर सचिव ।

D:\Year -2014\SECTION--06\Door cabinet_Sankap_02.doc

आदेश :– अतः आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया जाय ।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक– प्र06–विविध–22 / 2013(खण्ड)-II - 2736 खाद्य–पटना / दिनांक– 21.06.19

प्रतिलिपि – ई–गजट प्रभारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को विषयशीर्ष की अंग्रेजी अनुवाद के साथ M.S. Word मे सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कॉपी सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलंब प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि गजट की 100 (एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक– प्र06–विविध–22 / 2013(खण्ड़)-II - 2736 खाद्य–पटना / दिनांक– 21.06.19

प्रतिलिपि –महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक– प्र07–विविध–38 / 2016 - 2736 खाद्य–पटना / दिनांक– 21.06.19

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव / विकास आयुक्त, बिहार, पटना / माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग / सरकार के सभी विभाग / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / प्रबध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना / सभी विभागाध्यक्ष / सभी जिला पदाधिकारी / सचिव, बिहार विधान सभा / सचिव, बिहार विधान परिषद् / सभी विश्वविधालय के कुलपति को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रत्येक विभाग / विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालय / स्थानीय निकायों / निगमों / लोक सेवा के उपक्रमों / पर्षदों को अविलंब सूचित करा दें ।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक– प्र06–विविध–22 / 2013(खण्ड)-II - 2736 खाद्य–पटना / दिनांक– 21.06.19

प्रतिलिपि – बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना के अध्यक्ष / सभी सदस्यों / सदस्य सचिव, बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक– प्र06–विविध–22 / 2013(खण्ड)-II - 2736 खाद्य–पटना / दिनांक– 21.06.19

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक– प्र06–विविध–22 / 2013(खण्ड)-II 2736 खाद्य–पटना / दिनांक– 21.06.19
प्रतिलिपि – अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–05 (बजट शाखा), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/6/19

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक– प्र06–विविध–22 / 2013(खण्ड)-II - 2736 खाद्य–पटना / दिनांक– 21.06.19
प्रतिलिपि – आई0टी0 मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

20/6/19

सरकार के अपर सचिव ।